77

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धाराः—251 ए आरटीए
प्रकरण संख्याः—02/2016

1. परवीना पत्नी इन्द्रजीत पुत्र धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी 11 सीडीआर बी ढ़ाणी भोभरिया वाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। —प्रार्थीया

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
2. जयपाल } पि0 गोविन्दराम जाति कुम्हार निवासी 11 सीडीआर ढ़ाणी भोभरिया
3. दौलतराम } वाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। —अप्रार्थीगण

उपस्थिति—श्री अब्दुल सत्तार जोईया अधिवक्ता प्रार्थीया
श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 व 3

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी)

निर्णय दिनांक :—30.10.2018

प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना—पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत रास्ता निरस्ती हेतु इस न्यायालय में पेश किया कि वर्तमान में चक नं0 10 सीडीआर बी के खाता सं0 30 के प0न0 221/258 मु0 29 किला नं0 1,10/.506,प0न0 220/258 मु0 30 किला नं0 1 से 10/2.530 है0,14 से 15/.506,प0न0 219/258 मु031 किला नं0 5/.253, 6/2/.228, 7/.253 कुल भूमि 4.276 है0 खातेदारी मय गै0मु0 खाला रास्ता अंकित है।

सन् 2003 से पूर्व उक्त भूमि में से चक 10 सीडीआर बी के प0न0 221/258 मु0 29 किला नं0 10/.253, प0न0 220/258 मु0 30 किला नं0 6 से 8,14 से 15/1.265 कुल 1.518 है0 भूमि सहीराम कुम्हार के नाम से थी व चक नं0 10 सीडीआर बी के प0न0 221/258 किला नं0 1/.253,प0न0 220/258 किला नं0 1 से 5 व 9 से 10 रिछपाल पुत्र गुरदयाल के नाम से तथा प0न0 219/258 किला नं0 5/.253,6/2/.228, 7/.253 भूमि रिछपाल,महेन्द्र, धर्मपाल पि0 गुदरयाल के नाम से खातेदारी थी तत्पश्चात बटवारां संयुक्त परिवार की भूमि वा बंटवारा में उक्त भूमि रिछपाल व महेन्द्र ने अपने भाई धर्मपाल प्रार्थीया के ससुर को बंटवांरा में दी थी एवं प्रार्थीया के ससुर ने उक्त समस्त भूमि घरू विभाजन में प्रार्थीया (अर्थात अपनी पुत्रवधू) के नाम लगवा दी थी व वर्तमान में उक्त समस्त भूमि प्रार्थीया के नाम खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि में प0न0 220/258 मु0 30 किला नं0 9 से 10/.506 है0 प्रत्येक में 0.013 है0 रास्ता किला नं0 6 से 8 में पहूॅचने के लिए दोनों बीघों में वादीनी प्रार्थीया के ससुर एवं काका ससुर ने अपनी भूमि अपनी इच्छा से दिया था। उसके उपरानत उक्त भूमि सहीराम पुत्र पोखरराम व उसकी खातेदारी भूमि प0न0 220/258 किला नं0 6 से 8, 14 से 15/1.265 है0 तथा प0न0 221/258 किला नं0 10/.253 कुल भूमि जरिये बैयनामा मोल ले ली जो भूमि उक्त समस्त पूर्ण प्रार्थीया के पास है जिस भूमि के लिए यहं रास्ता प्रार्थीया के ससुर व काका ससुर ने दिया था वह भूमि खरीदने के कारण उक्त भूमि प्रार्थीया की भूमि में मिलने से रास्ता की आवश्यकता अब नहीं क्योंकि उक्त भूमि जिसके लिए किला नं. 9 से 10 में रास्ता स्वीकृत था वह प्रार्थीया की भूमि में मिल चुकी है वा प्रार्थीया की स्वयं की खातेदारी हो गई है। इसलिए चक नं0 10 सीडीआर बी के खाता सं0 30 के प0न0 220/258 किला नं0 9 तथा 10 में प्रत्येक में अंकित 0.013 है0 गै0मु0 रास्ता की प्रविष्टी को कलमजन कर प्रार्थीया की खातेदार भूमि प्रत्येक किला नं0 0.013 है0 अंकित की जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना—पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 स्टेट से रिपोर्ट/जवाब कार्यालय के पत्रांक 740 दिनांक 23.6.2016 को पत्र जारी कर प्राप्त किया गया। पत्र की पालना में तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी से रिपोर्ट दिनांक 8.11.2016 मय नक्शा भिजवाई गई। अप्रार्थी सं.2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 08.11.2016 पर आपति जाहिर की। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को पुनः मौका स्थिति की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार राजस्व टिब्बी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट 28.12.2016 को रिकार्ड पर लिया गया। रिपोर्ट पटवारी हल्का नाईवाला दिनांक 16.12.16 व तहसीलदार राजस्व टिब्बी द्वारा 28.12.2016 का अवलोकन किया व शामिल पत्रावली मिसल की गई। अप्रार्थी सं0 2 व 3 द्वारा प्रार्थना—पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार किया गया। अप्रार्थी सं0 2 व 3 द्वारा प्रार्थना—पत्र के जवाब के लिए समय चाहा। अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना—पत्र आदेश 7

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी

Scanned by CamScanner

नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया जो बाद बहस अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.4.2018 को निरस्त किया गया।

अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया कि चक नं0 10 सीडीआर बी के खाता सं0 30 के प0न0 220/258 किला नं0 9,10 प्रत्येक में अंकित.013 है0 रास्ता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण सं0 157/92 ग्रामवासी चक 10 व 11 सीडीआर बनाम बद्रीराम के प्रकरण में स्वीकृत फरमाया गया था। स्वीकृत रास्ता के बदले में भूमि देने के आदेश फरमाये हुए है। न्यायालय द्वारा एक बार रास्ता स्वीकृत हो जाने के बाद उसी न्यायालय द्वारा रास्ता की प्रविष्टी को कलमजन नहीं किया जा सकता व गैर मुमकिन रास्ता की भूमि को खातेदारी दिया जाना बाई बाई लॉ है। प्रार्थीया को पुनःउसी न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश कर करने की कानूनी अधकारिता नहीं है। चक नं0 10 सीडीआर बी के प0न0 220/258 किला नं0 9,10 प्रत्येक में अंकित .013–.013 है0 रास्ता वर्ष 1992 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा ही स्वीकृत किया गया था वह प्रकरण ग्रामवासी चक 10 व 11 सीडीआर बनाम् बद्रीराम आदि के नाम से था। उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा ही स्वीकृत रास्ता को पुनः कलमजन करवाने के लिए समस्त ग्रामवासी चक 10 व 11 सीडीआर को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प0न0 220/258 मु0 30 किला नं0 9,10 में प्रत्येक में .013 है0 गै0मु0 रास्ता दर्ज है। इसी रास्ता से अप्रार्थीगण व इसी चक के लोग अपने–अपने खेतों में आते जाते है। प0न0 220/258 किला नं0 6 से 8,14,15 व प0न0 221/258 किला नं0 10 प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो जरिये बैयनामा खरीद की है। यह कृषि भूमि प्रार्थीया द्वारा खरीद करने के कारण प0न0 220/258 किला नं0 9,10 में से स्वीकृत रास्ता को निरस्त नहीं करवाया जा सकता व गैर मुमकिन रास्ता की भूमि को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। उक्त रास्ता मौका पर चालु है तथा उक्त रास्ता से अप्रार्थीगण व इस चक के लोग खेतों में आते जाते है। राजस्व रिकार्ड में रास्ता की प्रविष्टी रहने से प्रार्थीया को कोई नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि उक्त गै0मु0 रास्ता जो किला नं0 9 व 10 में है यह रास्ता सन् 1992 से चला आ रहा है। चक नं0 10 सीडीआर बी के प0न0 220/258 मु0 30 किला नं0 9,10 प्रत्येक किला नं0 में .013 है0 गै0मु0 रास्ता दर्ज है। मौका पर चालु है किला नं0 9 व 10 में दक्षिणी दिशा की तरफ पश्चिम से पूर्व एक–एक बिश्वा रास्ता है। चक 10 सीडीआर बी के प0न0 220/258 मु0 30 किला नं0 21/2 किसी अन्य काश्तकार की कृषि भूमि है व किला नं0 22/1/.010 है0 कृषि भूमि में खाला बना हुआ है। अप्रार्थीगण चक नं0 10 सीडीआर बी के प0न0 220/258 मु0 30 किला नं0 9,10 में स्वीकृत शुदा रास्ते से अपनी कृषि भूमि में आ जा रहे है किला नं0 9 में प्रार्थीया प्रवीण ने जब अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर प्रवेश करते है तो किला नं0 9 में प्रार्थीया ने पोल लगा रहे है, पोल लगाने की वजह से अप्रार्थीगण का साधन ठीक तरह से मुड़ नहीं सकते व साधन पोल में टकराने का भय बना रहता है। अप्रार्थीगण किला नं0 9 में जहाँ मोड़ है वहाँ एक बिश्वा चौड़ाई की बजाय 1) बिश्वा चौड़ा करवाना चाहते है किला नं0 9 में मोड पर रास्ता 1) बिश्वा चौड़ा होने से हम अप्रार्थीगण के साधन आसानी से आ जा सकेंगें।

प्रार्थीया की ओर से जवाब काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 द्वारा याचित अनुतोष मुकदमा हाजा में नहीं दिया जा सकता क्योंकि जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के मुताबिक प्रतिदावा केवल वादपत्र में ही प्रस्तुत किया जाकर दरख्वास्त हाजा में काउन्टर क्लेम पेश करने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा कतई गलत अंकित किया गया है कि चक नं0 10 सीडीआर बी के प0न0 220/258 मु0 30 किला नं0 21/2 किसी अन्य काश्तकार की भूमि है तथा किला नं0 22/1/.001 है0 कृषि भूमि में खाला बना हुआ है तथा अप्रार्थीगण प0न0 220/258 के किला नं0 9,10 में स्वीकृत शुदा रास्ते से अपने खेत में आ जा रहे है, कतई गलत, असत्य व मनघढ़न्त दर्ज किया गया है। अप्रार्थीगण ने अपने काउन्टर क्लेम में गलत तथ्य दर्ज किये है जबकि वास्तव में अप्रार्थीगण द्वारा काउन्टर क्लेम में गलत तथ्य दर्ज किये है जबकि वास्तव में अप्रार्थीगण द्वारा कान्टर क्लेम की दफा 1 मे वर्णित आराजी को शामिल करते हुए अप्रार्थीगण के दादा भानीराम के नाम से खाता हाजा में कुल 2.480 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड थी, जिसमें से काउन्टर क्लेम में वर्णित आराजी बंटवारा में अप्रार्थीगण को प्राप्त हुई तथा उक्त आराजी का किला नं0 21, प0न0 221/258 मु0 31 किला नं0 25 में स्वीकृत शुदा रास्ता से चिपता है जिसके जरिये अप्रार्थीगण अपने खेत में आवागमन करते चले आ रहे है ऐसी सूरत में अप्रार्थीगण का यह कथन कि किला नं0 21/2 किसी अन्य काश्तकार की भूमि है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीया की आराजी किला नं0 9,10 में दर्ज स्वीकृत शुदा रास्ता से आवागमन करते चले आ रहे है स्वतः गलत साबित होता है। मुझ प्रार्थीया की आराजी प0न0 220/258 के किला नं0 9,10 से कभी भी अप्रार्थीगण का आवागमन नहीं रहा, अप्रार्थीगण अपने पारिवारिक सदस्यों से घरु बंटवारा में प्राप्त आराजी के

Scanned by CamScanner

मुताबिक ही अपने खेत में आवागमन करते चले आ रहे है, इसलिए मुझ प्रार्थीया की आराजी में से कोई रासता पाने के अधिकारी व दावेदार नहीं है। अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.13 की फोटो प्रति संलग्न है। अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा अपनी वहस में कथन किया गया कि वर्तमान में चक नं0 10 सीडीआर वी के खाता सं0 30 के प0न0 221/258 मु0 29 किला नं0 1,10/.506, प0न0 220/258 मु0 30 किला नं0 1 से 10/2.530 है0, 14 से 15/.506, प0न0 219/258 मु0 31 किला नं0 5/.253, 6/2/.228, 7/.253 कुल भूमि 4.276 है0 खातेदारी मय गै0मु0 खाला रास्ता अंकित है। सन् 2003 से पूर्व उक्त भूमि में से चक 10 सीडीआर वी के प0न0 221/258 मु0 29 किला नं0 10/.253, प0न0 220/258 मु0 30 किला नं0 6 से 8, 14 से 15/1.265 कुल 1.518 है0 भूमि सहीराम कुम्हार के नाम से थी व चक नं0 10 सीडीआर वी के प0न0 221/258 किला नं0 1/.253, प0न0 220/258 किला नं0 1 से 5 व 9 से 10 रिछपाल पुत्र गुरदयाल के नाम से तथा प0न0 219/258. किला नं0 5/.253, 6/2/.228, 7/.253 भूमि रिछपाल,महेन्द्र, धर्मपाल पि0 गुदरयाल के नाम से खातेदारी थी तत्पश्चात वंटवारा में संयुक्त परिवार की भूमि वा वंटवारा में उक्त भूमि रिछपाल व महेन्द्र ने अपने भाई धर्मपाल प्रार्थीया के ससुर को वंटवारा में दी थी एवं प्रार्थीया के ससुर ने उक्त समस्त भूमि घरू विभाजन में प्रार्थीया (अर्थात अपनी पुत्रवधू) के नाम लगवा दी थी व वर्तमान में उक्त समस्त भूमि प्रार्थीया के नाम खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि में प0न0 220/258 मु0 30 किला नं0 9 से 10/.506 है0 प्रत्येक में 0.013 है0 रास्ता किला नं0 6 से 8 में पहुँचने के लिए दोनों वीघो में वादीनी प्रार्थीया के ससुर एवं काका ससुर ने अपनी भूमि अपनी इच्छा से दिया था। उसके उपरानत उक्त भूमि सहीराम पुत्र पोखरराम व उसकी खातेदारी भूमि प0न0 220/258 किला नं0 6 से 8, 14 से 15/1.265 है0 तथा प0न0 221/258 किला नं0 10/.253 कुल भूमि जरिये वैयनामा मोल ले ली जो भूमि उक्त समस्त पूर्ण प्रार्थीया के पास है जिस भूमि के लिए यह रास्ता प्रार्थीया के ससुर व काका ससुर ने दिया था वह भूमि खरीदने के कारण उक्त भूमि प्रार्थीया की भूमि में मिलने से रास्ता की आवश्यकता अब नहीं क्योंकि उक्त भूमि जिसके लिए किला नं. 9 से 10 में रास्ता स्वीकृत था वह प्रार्थीया की भूमि में मिल चुकी है वा प्रार्थीया की स्वयं की खातेदारी हो गई है। इसलिए चक नं0 10 सीडीआर बी के खाता सं0 30 के प0न0 220/258 किला नं. 9 तथा 10 में प्रत्येक में अंकित 0.013 है0 गै0मु0 रास्ता की प्रविष्टी को कलमजन कर प्रार्थीया की खातेदार भूमि प्रत्येक किला नं0 0.013 है0 अंकित की जावे। अप्रार्थीगण के दादा भानीराम के नाम से खाता हाजा में कुल 2.480 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड थी, जिसमें से काउन्टर क्लेम में वर्णित आराजी बंटवारा में अप्रार्थीगण को प्राप्त हुई तथा उक्त आराजी का किला नं0 21, प0न0 221/258 मु0 31 किला नं0 25 में स्वीकृत शुदा रास्ता से चिपता है जिसके जरिये अप्रार्थीगण अपने खेत में आवागमन करते चले आ रहे है ऐसी सूरत में अप्रार्थीगण का यह कथन कि किला नं0 21/2 किसी अन्य काश्तकार की भूमि है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीया की आराजी किला नं0 9,10 में दर्ज स्वीकृत शुदा रास्ता से आवागमन करते चले आ रहे है स्वतः गलत साबित होता है। मुझ प्रार्थीया की आराजी प0न0 220/258 के किला नं.9,10 से कभी भी अप्रार्थीगण का आवागमन नहीं रहा, अप्रार्थीगण अपने पारिवारिक सदस्यों से घरू वंटवारा में प्राप्त आराजी के मुताबिक ही अपने खेत में आवागमन करते चले आ रहे है, इसलिए मुझ प्रार्थीया की आराजी में से कोई रासता पाने के अधिकारी व दावेदार नहीं है। अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.13 की फोटो प्रति संलग्न है। अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेमं खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा न्याय दृष्टान्त आरआरटी 2011 प्रथम पेज 163 स्टेट आफ राजस्थान बनाम् राजपाल आदि पेश की।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 के द्वारा अपनी जवाब बहस में कथन किया कि चक नं. 10 सीडीआर वी प0न0 220/258 मु0 30 किला नं0 21/2/.128 अन्य काश्तकारान की है, प0न0 221/258 के किला नं0 25 में स्वीकृत रास्ता के चिपते प0न0 220/258 मु0 30 किला नं0 21/2/.128 उतर से दक्षिण अन्य काश्तकारान की है व रास्ता के चिपते अप्रार्थीगण की कृषि भूमि नहीं लगती है। अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया कि चक नं0 10 सीडीआर बी के खाता सं0 30 के प0न0 220/258 किला नं. 9,10 प्रत्येक में अंकित .013 है0 रास्ता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हनुमानगढ द्वारा प्रकरण सं0 157/92 ग्रामवासी चक 10 व 11 सीडीआर बनाम बद्रीराम के प्रकरण में स्वीकृत फरमाया गया था। स्वीकृत रास्ता के बदले में भूमि देने के आदेश फरमाये हुए है। न्यायालय द्वारा एक बार रास्ता स्वीकृत हो जाने के बाद उसी न्यायालय द्वारा रास्ता की प्रवष्टि को कलमजन नहीं किया जा सकता व गैर मुमकिन रास्ता की भूमि को खातेदारी दिया जाना बार्ड बाई लॉ है। प्रार्थीया को पुनः उसी न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश कर करने की कानूनी अधिकारिता नहीं है।

Scanned by CamScanner

चक नं0 10 सीडीआर बी के प0न0 220/258 किला नं.9,10 प्रत्येक में अंकित .013–.013 है0 रास्ता वर्ष 1992 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा भी स्वीकृत किया गया था वह प्रकरण ग्रामवासी चक 10 व 11 सीडीआर बनाम् बद्रीराम आदि के नाम से था। उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा ही स्वीकृत रास्ता को पुनः कलमजन करवाने के लिए समस्त ग्रामवासी चक 10 व 11 सीडीआर को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प0न0 220/258 मु0 30 किला नं. 9,10 में प्रत्येक में .013 है0 गै0मु0 रास्ता दर्ज है। इसी रास्ता से अप्रार्थीगण व इसी चक के लोग अपने–अपने खेतों में आते जाते है। प0न0 220/258 किला नं0 6 से 8,14,15 व प0न0 221/258 किला नं0 10 प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो जरिये बैयनामा खरीद की है। यह कृषि भूमि प्रार्थीया द्वारा खरीद करने के कारण प0न0 220/258 किला नं0 9,10 में से स्वीकृत रास्ता को निरस्त नहीं करवाया जा सकता व गैर मुनकिन रास्ता की भूमि को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। उक्त रास्ता मौका पर चालु है तथा उक्त रास्ता से अप्रार्थीगण व इस चक के लोग खेतों में आते जाते है। राजस्व रिकार्ड में रास्ता की प्रविष्टी रहने से प्रार्थीया को कोई नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि उक्त गै0मु0 रास्ता जो किला नं.9 व 10 में है यह रास्ता सन् 1992 से चला आ रहा है। चक नं0 10 सीडीआर बी के प0न0 220/258 मु0 30 किला नं0 9,10 प्रत्येक किला नं0 में .013 है0 गै0मु0 रास्ता दर्ज है। मौका पर चालु है किला नं0 9 व 10 में दक्षिणी दिशा की तरफ पश्चिम से पूर्व एक–एक बिस्वा रास्ता है। चक 10 सीडीआर बी के प0न0 220/258 मु0 30 किला नं0 21/2 किसी अन्य काश्तकार की कृषि भूमि है व किला नं0 22/1/.010 है0 कृषि भूमि में खाला बना हुआ है। अप्रार्थीगण चक नं0 10 सीडीआर बी के प0न0 220/258 मु0 30 किला नं. 9,10 में स्वीकृत शुदा रास्ते से अपनी कृषि भूमि में आ जा रहे है किला नं. 9 में प्रार्थीया प्रवीण ने जब अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर प्रवेश करते है तो किला नं. 9 में प्रार्थीया ने पोल लगा रहे है, पोल लगाने की वजह से अप्रार्थीगण का साधन ठीक तरह से मुड नहीं सकते व साधन पोल में टकराने का भय बना रहता है। अप्रार्थीगण किला नं. 9 में जहाँ मोड़ है वहॉ एक बिश्वा चौड़ाई की बजाय 1) बिश्वा चौड़ा करवाना चाहते है किला नं. 9 में मोड पर रास्ता 1) बिश्वा चौड़ा होने से हम अप्रार्थीगण के साधन आसानी से आ जा सकेंगें। बहस सुनने के उपरान्त दिनांक 22.10.18 को प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा एक दस्तावेज हल्फनामा सहीराम प्रस्तुत किया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया,पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि प्रार्थीया द्वार चक नं. 10 सीडीआर बी के खाता सं0 30 के प0न0 220/258 किला नं0 9 तथा 10 प्रत्येक में अंकित .013 है0 गै0मु0 रास्ता की प्रविष्टी को कलमजन किया जाना व गैर मुनकिन रास्ता की भूमि प्रार्थीया के नाम खातेदारी अंकित किया जाना न्यायोचित है या नहीं। प्रार्थीया द्वारा स्वीकृत शुदा रास्ता जो राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 दर्ज है को निरस्त करवाकर खातेदार दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की फर्द अहकाम ग्रामवासी चक 10 व 11 सीडीआर बनाम् बद्री प्रसाद आदि विविध मुकदमा नं0 157 दिनांक 22.06.1992 से फर्द अहकाम लगातार व आदेश दिनांक 10.08.1992 का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आदेश 10.08.1992 इसी न्यायालय द्वारा ग्रामवासी चक 10 व 11 सीडीआर एवं बद्रीराम आदि की सहमति के आधार पर चक नं0 11 सीडीआर के प0न0 220/260 मु0 39 किला नं0 17,18,19 की उतरी सींव के साथ साढे सोलह फुट चौड़ा व किला नं0 12 की पश्चिमी सींव किला नं0 1,10 की पूर्वी व किला नं0 1 की उतरी सींव के साथ सवा आठ फुट चौड़ा, चक नं0 10 सीडीआर बी के प0न0 219/258 किला नं0 15,16,25 की पूर्वी सींव के साथ–साथ प0न0 220/258 के किला नं0 9,10 की दक्षिणी सींव के साथ–साथ सवा आठ फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है, इसी सहमति के आधार पर इसी न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर राजस्व अभिलेख में दर्ज रास्ता के आदेश दिये गये थे।

पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा आपसी सहमति के आधार पर रास्ता स्वीकार किया गया था। अब प्रार्थीया इस आधार पर रास्ता निरस्त करवाना चाहती है कि यह रास्ता प्रार्थीया के काम नहीं आ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में वैकल्पिक रास्ते के अभाव में अत्यांतिक आवश्यकता के आधार पर रास्ता स्वीकृति के प्रावधान है। इसमें रास्ता निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि इस प्रार्थना–पत्र को अन्तर्गत धारा 8 (2) राज उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत ही शुमार किया जावे तो भी स्वीकृत रास्ता सार्वजनिक उपभोग का होता है जिसे इस आधार पर निरस्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है कि अब किसी विशिष्ट काश्तकार हेतु उसका उपयोग समाप्त हो गया हो। धारा 251ए आरटीए के तहत स्वीकृत रास्ता को निरस्त नहीं किया जा सकता। आरआरडी 2018 पेज नं. 597 बउनवान दलीपसिंह बनाम चन्द्रभान आदि में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा यह अभिनिर्धारित

Scanned by CamScanner

किया गया है कि राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य) नियम 1955 की शर्त 8 (2) एवं धारा 251 ए के तहत नया रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है—पूर्व से प्रचलित रास्ते को निरस्त करने का प्रावधान नहीं है। इस न्याय दृष्टांत के पैरा सं0 5 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि स्वीकृत रास्ता को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार किसी न्यायालय को नहीं है। वकील अप्रार्थी द्वारा पूर्व में स्वीकृत रास्ता को चौड़ा करने हेतु काऊटर कलेम पेश किया गया हैं परन्तु रास्ता चौड़ा करने के सम्बन्ध में तहसीलदार टिब्बी ने अपनी रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया है इसलिए काऊटर अप्रार्थी संख्या 2—3 खारिज किया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना—पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251ए कानूनन पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थना—पत्र प्रार्थीया खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम में अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में स्वीकृत रास्ता की चौड़ाई अधिक करने का निवेदन किया गया है, अप्रार्थीगण को पूर्व में रास्ता उपलब्ध है उक्त प्रार्थना—पत्र में जरिये काउन्टर क्लेम रास्ते की चौड़ाई का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.10.18

(उम्मेदसिंह रतनू)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

Scanned by CamScanner